संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/983 भोपाल, दिनांक 29/06/2020

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 रोगियों के प्रबंधन के संबंध में राज्य स्तरीय तकनीकि सलाहकार समिति द्वारा की गई अनुशंसा आधारित निर्देश।

संदर्भः– प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय तकनीकि सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 16/06/2020

विषयांतर्गत लेख है कि कोविड–19 एक नवीन जन स्वास्थ्य समस्या है जिसके संबंध में वैश्विक/राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर क्लीनिकल प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देशों को निरन्तर अद्यतन किया जा रहा है। अवगत हों कि प्रदेश में कोविड–19 रोगियो के मानक प्रबंधन के संबंध में तकनीकि मार्गदर्शन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकि सलहाकार समिति का गठन किया गया है जिनके द्वारा कोविड–19 के संबंध में राज्य विशिष्ट चुनौतियों पर विमर्श किया जा कर क्लीनिकल अभिमत दिया जायेगा ताकि कोविड–19 के प्रबंधन संबंधी नीतिगत गतिविधियों का निर्धारण किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि, दिनांक 16/06/2020 को प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में उक्त समिति की बैठक आयोजित की गई एवं समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार लिए गए नीतिगत निर्णय अनुसार निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है:–

1. आई.सी.एम.आर. के वर्तमान Testing Strategy, Version 5 दिनांक 18/05/2020 अनुरूप कोविड–19 के पुष्ट रोगियों के सीधे संपर्क में आये समस्त उच्च जोखिम किन्तु लक्षण रहित "Contacts" की सैम्पल की जांच, पुष्ट रोगी के संपर्क दिनांक के 5 से 10 दिवस के भीतर कराई जाये।
2. भारत सरकार द्वारा जारी "Clinical Management Procol : COVID-19" दिनांक 13/06/2020 में कोविड–19 के लक्षणों में सूंघने की क्षमता में कमी (Anosmia) तथा स्वाद क्षमता में कमी (Ageusia) को को सम्मिलित किया गया है। अतः यदि किसी रोगी द्वारा हाल ही में सूंघने अथवा स्वाद क्षमता में कमी/लुप्त होने के लक्षण प्रतिवेदित होते हैं तो, उपचार करने वाले चिकित्सक के क्लीनिकल निर्णय अनुसार कोविड–19 की जांच हेतु परामर्श दिया जाये।
3. चूंकि, छोटे बच्चों में स्वाद एवं सूंघने की क्षमता की क्षति के बारे में आंकलन करने में कठिनाई होती है अतएव, अस्पताल परिदृश्य में शिशु रोग विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के परिचित द्रव्य जैसे नारियल तेल, चॉकलेट, फ्लेवर युक्त दूध अथवा अन्य कोई परिचित महक का उपयोग स्वाद एवं घ्राण शक्ति के आंकलन हेतु उपयोग किया जाये।
4. वृद्ध जनों में कोविड–19 के उच्च जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए कन्टेन्मेन्ट क्षेत्र/हॉटस्पॉट क्षेत्रों में समस्त 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें दीर्घकालिक बीमारियाँ जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, गुर्दा रोग, लीवर–फेफड़ों के रोगी तथा रक्त/न्यूरोलॉजिकल विकार वाले रोगियों में ILI/SARI के लक्षणों की स्क्रीनिंग कर आई.सी.एम.आर. के दिशा–निर्देश अनुसार जांच की जाये।
5. संवेदनशील समूह जैसे कीमोथेरेपी के रोगी, रोग–प्रतिरोधक क्षमता में कमी वाले रोगी जैसे एच.आई.व्ही, कैंसर, व ट्रान्सप्लांट रोगियों में कोविड–19 के उच्च जोखिम को दृष्टिगत रखते हुए लक्षण रहित होने पर भी कोविड जांच "Rapid Antigen Testing" प्रक्रिया से सुनिश्चित की जाये।

Scanned with CamScanner

6. कोविड–19 रोगियों में Cytokine Release Syndrome (CRS) को दृष्टिगत रखते हुए निम्न "Alert Signs" की विशेष निगरानी की जाये:–

i	**Neutrophil: Lymphocyte ratio >=3.5: 1 on admission to be taken as an alert sign for up-referral.**
ii	**CRP, Absolute Lymphocyte count to be done daily. Any increasing titers to be taken as an alert sign for possible cytokine storm.**
iii	**S.Ferritin, LDH to be done at 48 hourly interval (Wherever possible).**
iv	**LFT/RFT should be done once on admission and may be repeated as per clinical need.**
v	**PT, APTT to be assessed in cases with suspicion of coagulopathies.**
vi	**FDP and D-dimer to be done in centers with feasibility.**
vii	**Addl. tests like Echocardiography and Bedside Color Doppler for lower limbs in ICU patients, to be done based on clinical judgment of the treating physician.**

7. जिन संस्थाओं में Blood Culture & Sensivity की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ यथासंभव Antibiotic का उपयोग करने के पूर्व रोगी का सैम्पल लिया जाये। जांच रिपोर्ट में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए यदि Secondary Bacterial Infection का संदेह हो तो, चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप Broad Spectrum Antibiotic का उपयोग किया जाये।
8. **कोविड–19 के प्रबंधन हेतु Anti Viral Drugs का उपयोग**
   i उपचार करने वाले चिकित्सकों के दल द्वारा ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता वाले मध्यम/गंभीर लक्षण युक्त कोविड–19 रोगियों के उपचार हेतु चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों (DCH) में Under Emergency Use Authorization/Off Label औषधियाँ जैसे Remdesivir व Tocilizumab का तर्कसंगत उपयोग किया जा सकता है।
   ii इस हेतु चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों (DCH) में विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाये जिनके द्वारा रोगी की स्थिति पर विमर्श कर Remdesivir व Tocilizumab का केस–आधारित उपयोग संबंधी अनुशंसा की जाये। उक्त समिति के अनुशंसा के उपरान्त ही मध्यम/गंभीर कोविड–19 रोगियों में Antiviral औषधियों का यथोचित सतर्कता बरतते हुए उपयोग किया जाये।
9. **कोविड–19 हेतु नवीन औषधियाँ एवं उपचार–** कोविड–19 हेतु भारत में अनुमोदित विभिन्न औषधियाँ **(परिशिष्ट–1)** पर संलग्न है।
10. **कोविड–19 के परीक्षण हेतु विशेष परिस्थितियाँ:–**
    i जहाँ बड़ी संख्या में सामूहिक सैम्पलिंग की आवश्यकता हो जैसे Asylums, Institution for mentally challenged patients, Migrant settlements, Jails आदि में Pooled RTPCR का उपयोग किया जाये।
    ii Elective Surgery के लिए नियत रोगियों में चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप कोविड–19 की जांच हेतु CBNAAT/TruNAT/RTPCR का उपयोग किया जा सकता है।
    iii Emergency surgical procedures (including obstetrics) हेतु कोविड परीक्षण के अभाव में किसी भी शल्य क्रिया को लंबित नहीं किया जाये। ILI/SARI के लक्षण वाले हॉटस्पॉट/कन्टेन्मेन्ट ज़ोन से आने वाले प्रकरणों में आई.सी.एम.आर. के निर्देश अनुरूप कोविड–19 की जांच RTPCR जांच पद्धति से की जाये। त्वरित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए Rapid Antigen Testing (Standard Q COVID-19 Ag detection kit) का उपयोग किया जा सकता है।
    iv कोविड–19 के संदिग्ध प्रकरणों में Rapid Antigen Test के "Negative" पाये जाने पर लक्षण युक्त रोगियों की अनिवार्यतः पुनः जांच RTPCR पद्धति से कराई जाये ताकि कोविड संक्रमण की पुष्टि हो सके।
    v Rapid Antigen Test के "Positive" पाये जाने पर रोगी को कोविड पॉजिटिव ही माना जाये और ऐसी स्थिति में पुनः RTPCR जांच से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी।

Scanned with CamScanner

vi **ICMR, Dept. of Health Resarch, MoHFW, GoI के निर्देश, दिनांक 14/06/2020 द्वारा Standard Q COVID-19 Ag detection kit का उपयोग Gold Standard RTPCR Test के साथ निम्न परिस्थितियों के लिए अनुशंसित है जिनका पालन किया जाये:–**

A. Containment zones or hotspots *(to be performed onsite under strict medical supervision and maintaining kit temperature between 2° to 30° C.):*

i) All symptomatic Influenza Like Illness (ILI).

ii) Asymptomatic direct and high-risk contacts with co-morbidities (*lung disease, heart disease, liver disease, kidney disease, diabetes, neurological disorders, blood disorders*) **of a confirmed case to be tested once between day 5 and day 10 of coming into contact.**

B. Healthcare settings *(to be performed onsite under strict medical supervision and maintaining kit temperature between 2° to 30° C)*

i) All symptomatic ILI patients presenting in a healthcare setting and are suspected of having COVID19 infection.

ii) Asymptomatic patients who are hospitalized or seeking hospitalization, in the following high-risk groups:

- Patients undergoing chemotherapy
- Immunosuppressed patients including those who are HIV+;
- Patients diagnosed with malignant disease;
- Transplant patients;
- Elderly patients (>65 yrs of age) with co-morbidities (lung disease, heart disease, liver disease, kidney disease, diabetes, neurological disorders, blood disorders)

iii) Asymptomatic patients undergoing aerosol generating surgical / non-surgical interventions.

- Elective/emergency surgical procedures like neurosurgery, ENT surgery, dental procedures;
- Non-surgical interventions like bronchoscopy, upper GI endoscopy and dialysis.

ILI case is defined as one with acute respiratory infection with fever ≥ 38°C AND cough.

11. **कन्टेन्मेन्ट ज़ोन में परिमाप नियंत्रण की समाप्ति (De-Containment Strategies)**

i विभिन्न शोध अध्ययनों के अनुसार कोविड–19 संक्रमण की Median Incubation Period लगभग 5–7 दिन है अतएव, कन्टेन्मेन्ट ज़ोन में परिमाप नियंत्रण (Perimeter Control) के समापन की अवधि, Incubation Period की दुगनी अवधि अर्थात क्षेत्र में पाये गये कोविड–19 के अंतिम पुष्ट प्रकरण से 14 दिवस की अवधि निर्धारित की जाती है किन्तु, सर्वेक्षण/आर.आर.टी. दलों द्वारा अतिरिक्त 14 दिवस तक उस क्षेत्र में नये संदिग्ध अथवा पुष्ट केस के संबंध में निगरानी जारी रखी जाये।

ii कन्टेन्मेन्ट ज़ोन में निवासियों द्वारा Arogya Setu App का उपयोग स्व–निगरानी हेतु किया जाये।

12. **होम क्वारंटाईन अवधि की समाप्ति**

i कोविड पॉजीटिव प्रकरण के क्वारंटाईन (Home/Institutional) किये गये "Contacts" की जांच पुष्ट रोगी के संपर्क में आने के 5 से 10 दिवस के भीतर कराई जाये।

ii यात्रा संबंधित क्वारंटाईन हेतु व्यक्तियों की जांच ICMR Testing Criteria अनुरूप कराई जाये।

iii **उपरोक्त दोनों ही स्थिति में क्वारंटाईन अवधि की समाप्ति 14 दिवस उपरान्त होगी एवं क्वारंटाईन अवधि के समाप्ति के पूर्व पुनः जांच की आवश्यकता नहीं होगी।**

13. **कोविड पॉजीटिव माता–पिता के कोविड नेगेटिव छोटे बच्चों के संबंध में निर्देश**

i छोटे बच्चों के दोनों माता एवं पिता के एक साथ गंभीर संक्रमित होने की संभावना कम होने के कारण यथासंभव कोविड पॉजीटिव माता–पिता के कोविड नेगेटिव छोटे बच्चों को लक्षण रहित/मंद/अति मंद लक्षण वाले पॉजीटिव माता अथवा पिता के साथ घर पर आईसोलेशन में रखा जाये।

Scanned with CamScanner

ii यदि ऐसा करना संभव नहीं हो तो कोविड पॉजीटिव माता–पिता के कोविड नेगेटिव छोटे बच्चों को लक्षण रहित/मंद/अति मंद लक्षण वाले पॉजीटिव माता अथवा पिता के साथ पृथक आईसोलेशन कक्ष में रखा जाये।

<u>अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित</u>

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/984 भोपाल, दिनांक 29/06/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन वल्लभ भवन, म.प्र।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा,म.प्र।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
6. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
8. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
9. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
10. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner